राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 05/2023

राकेश कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, जिला बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
4. पीईओ/प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मक्कासर जिला हनुमानगढ।
5. विकास सिंह स्कूल व्याख्याता (अंग्रेजी) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मक्कासर जिला हनुमानगढ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.01.2023
आदेश की दिनांक : 17.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश जांगिड, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री यशंवत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

अपीलार्थी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर राजकीय बालिका अच्च माध्यमिक विद्यालय मक्कासर जिला हनुमानगढ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.01.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन चितौडगढ किया गया और आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.08.2019 के द्वारा उसे वर्तमान पदस्थान पर उसे पदस्थापित किया गया था और आलोच्य आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने क आशय से बिना किसी प्रशासनिक कारण के अपीलार्थी का स्थानांतरण कर दिया गया है। जबकि उसने कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में चयन के संबंध में स्पष्ट रूप से दिशा–निर्देश जारी किये गये जो निम्न प्रकार हैंः–

'' 6. साक्षात्कार समिति महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी हेतु पात्र चयन का कार्य करती है। अतः पूर्व में साक्षात्कार द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत कार्मिक का पुनः चयन हेतु सम्मिलित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार द्वारा पदस्थापित कार्मिक को पुनः चयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।''

महात्मा गांधी विद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यमों से पदस्थापन किया गया है। जबकि अपीलार्थी का पदस्थापन स्थानांतरण कि माध्यम से किया गया हे जो उक्त दिशा–निर्देशों के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर और आलौच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28.12.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी को यथास्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन स्कूल व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मक्कासर जिला हनुमानगढ में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है इसके निर्णय का अधिकारी प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थानांतरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानांतरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है इस कारण स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानांतरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया हैः–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Goverment servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at on place or the other, he is liable to be transferred from on

place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिपत्र दिनांक 23.08.2022 के विपरीत स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है। हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त परिपत्र अपीलार्थी के प्रकरण में लागू नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसवाड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य